

थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा विस्फोटक पदार्थ/सामग्री बेचने हेतु ले जाते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थ /सामग्री बेचने हेतु ले जाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

दिनांक 08.10.2020 को थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा वास्ते गश्त व चैकिंग के दौरान फर्रुखनगर असातपुर दुधाधारी मन्दिर से फर्रुखनगर बाईपास की ओर से आ रहे एक अभियुक्त को विस्फोटक पदार्थ/सामग्री बेचने हेतु ले जाते हुए एक अभियुक्त को समय 19.45 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 405/20 धारा 9B(1)(b) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

1.शकील पुत्र अजीजुद्दीन निवासी फर्रुखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त :-

1.मु0अ0स0 405/20 धारा 9B(1)(b) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

बरामदगी का विवरण

1.अभियुक्त के कब्जे से 20 अनार बम ,08 पैकेट मिनी हाईड्रो सुतली बम,15 पैकेट लिबिर्टी चरखी,07 पैकेट सैमसंग बुलेट बम , 08 पैकेट एश्वर्या फुलझडी,05 पैकेट अन्य मिश्रित अन्य प्रकार ,17 पैकेट मिश्रित बरामद हुए।



01 नफर अभियुक्त नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में चलाये गये नशीले पदार्थ बेचने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में **थाना खोडा पुलिस द्वारा** दिनांक 09.10.2020 समय 09.40 बजे घटनास्थल पानी प्लान्ट के सामने बिजेन्द्र के खेत के पास मौहल्ला अनिल विहार चौकी क्षेत्र नेहर गार्डन से 01 शातिर अभियुक्त को 55 ग्राम अवैध नशीला पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

अभिषेक पुत्र सुधीर नि0 दामोदर विहार कविता पैलेस खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 595/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना खोडा गा0बाद

बरामदगी – अभियुक्त के कब्जे से 55 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज बरामद

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त मय 600 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय साहिबाबाद तथा प्रभारी निरीक्षक **थाना साहिबाबाद** के निर्देशन में दिनांक 09.10.2020 को समय 02.30 बजे चैकिंग के दौरान हनुमान मंदिर तिकोना पार्क के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर अभियुक्त **सरफराज पुत्र ग्यासुदीन नि0 E57/A 27 सुदर नगरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष को मय 600 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध सहित गिरफ्तार किया गया।**

कडाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभि0 सरफराज उपरोक्त ने बताया कि मेरे पास अल्प्राजोलम नशीली गोलिया है। जिसे मैं बेचकर मुनाफा कमाता हू। बरामद अल्प्राजोलम गोलियों के संबंध में अभि0 सरफराज से लाईसेंस के बारे में पूछा तो लाईसेंस नहीं है। जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0सं0 **1170/2020 धारा 8/21** एनडीपीएस एक्ट बनाम सरफराज उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका

अभि0 सरफराज उपरोक्त नशा करने वाले लोगो को अल्प्राजोलम नशीली गोलियां बेचकर मुनाफा कमाता है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सरफराज पुत्र ग्यासुदीन नि0 E57/A 27 सुदर नगरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

600 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त मय 150 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध सहित गिरफ्तार

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 09.10.2020 को समय 02.30 बजे चैकिंग के दौरान नाग गेट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर अभियुक्त 1- राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना डीह जिला रायबरेली हाल ग्राम करहैडा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष व 2- सुनील पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना डीह जिला रायबरेली हाल ग्राम करहैडा साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 30 को मय 150 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध सहित गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभि0गण उपरोक्त ने बताया कि हमारे पास अल्प्राजोलम नशीली गोलिया है। जिन्हे हम बेचकर मुनाफा कमाते है। बरामद अल्प्राजोलम गोलियो के संबंध मे अभि0 गण उपरोक्त से लाइसेंस के बारे मे पूछा तो लाइसेंस नही है। जिसके संबंध मे थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 1171/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम राहुल उपरोक्त तथा मु0अ0स0 1172/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम सुनील उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका

अभि0 गण राहुल, सुनील उपरोक्त नशा करने वाले लोगो को अल्प्राजोलम नशीली गोलियां बेचकर मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना डीह जिला रायबरेली हाल ग्राम करहैडा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

2- सुनील पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना डीह जिला रायबरेली हाल ग्राम करहैडा साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 30 को मय 600 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध सहित गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण-

कुल 150 अल्प्राजोलम नशीली गोलिया अवैध , दोनो अभि0गण से 75-75 गोलिया

अभियान के दौरान एक जिला बंदर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.10.2020 को समय करीब 12.00 बजे चौकी क्षेत्र अभयखंड से जिला बंदर अभियुक्त भोला प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त



भोला प्रसाद गुप्ता उपरोक्त को न्यायालय श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद महोदय द्वारा दिनांक 28.09.2020 से 03 माह के लिए जिला बदर किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- भोला प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुप्ता निवासी प्रथम सी अभयखंड थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास जिला बदर अभियुक्त भोला प्रसाद गुप्ता-

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	542 / 17	147 / 148 / 332 / 353 / 436 / 504 भादवि व 7 कि0ला0 एमेंडमेंट एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
2	719 / 17	147 / 148 / 506 / 323 / 504 / 332 / 353 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
3	81 / 15	147 / 148 / 149 / 304 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
4	827 / 17	110जी सीआरपीसी	इंदिरापुरम	गा0बाद
5	195 / 19	384 / 506 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
6	829 / 17	3 / 4 गुण्डा अधिनियम	इंदिरापुरम	गा0बाद
7	1278 / 13	447 / 427 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद



एनसीआर मे वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा व चोरी की 02 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी व 02 मोबाईल चोरी के व नाजायज असलाह व कारतूस वरामद

थाना ट्रानिकासिटी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 8.10.20 को अलफला मस्जिद खुशहाल पार्क के पास से समय 20.40 वजे वाहन चोरी करने वाले अभि०गण 1.इरफान पुत्र अल्लानूर नि० म०न० 1286 गली न० 20 पहलवान ढावे के पास थाना खजूरी दिल्ली 2.दानिश पुत्र इन्तजार नि० शराव के ठेके के पास ग्राम रटौल थाना खेकडा जिला वागपत को 02 मोटर साइकिल व एक स्कूटी व दो मोबाईल चोरी के व नाजायज असलाह व कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। अभि०गण शातिर किस्म के वाहन चोर है जिनके आपराधिक इतिहास के वारे में सम्बन्धित थानो से जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –पूछताछ पर अभियुक्त गण ने बताया कि हम लोग लोनी क्षेत्र व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करते है तथा लोगों को भयभीत करने व अपने वचाव के लिए तमन्चा व चाकू अपने पास रखते है हम लोग कालौनियों में मोटर साइकिल से घूमते है मौका देखकर मोटर साइकिल व मोबाईल चोरी करते है तथा जब 2-3 गाडियां इकट्ठी हो जाती है तो उनको आने जाने वाले लोगों को सस्ते दामों में बेच देते है। जिससे अपना जीवन यापन करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभि०गण -

- 1.इरफान पुत्र अल्लानूर नि० म०न० 1286 गली न० 20 पहलवान ढावे के पास थाना खजूरी दिल्ली
- 2.दानिश पुत्र इन्तजार नि० शराव के ठेके के पास ग्राम रटौल थाना खेकडा जिला वागपत

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

1.इरफान पुत्र अल्लानूर नि० म०न० 1286 गली न० 20 पहलवान ढावे के पास थाना खजूरी दिल्ली

- (1)मु०अ०सं० 609/20 धारा 411/414 भादवि थाना ट्रानिकासिटी गा०वाद
- (2)मु०अ०सं० 610/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रानिकासिटी गा०वाद
- (3)मु०अ०सं० 834/20 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा०वाद
- (4)ईएफआईआर न०- 24895/2020 धारा 379 भादवि थाना महेन्द्रापार्क दिल्ली

2.दानिश पुत्र इन्तजार नि० शराव के ठेके के पास ग्राम रटौल थाना खेकडा जिला वागपत

- (1)मु०अ०सं० 609/20 धारा 411/414 भादवि थाना ट्रानिकासिटी गा०वाद
- (2)मु०अ०सं० 611/20 धारा 4/25 ए एक्ट थाना ट्रानिकासिटी गा०वाद
- (3)मु०अ०सं० 834/20 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा०वाद
- (4)ईएफआईआर न०- 24895/2020 धारा 379 भादवि थाना महेन्द्रापार्क दिल्ली

बरामदगी का विवरण

- (1) एक मोटर साइकिल UP 15 AV-3409 मु०अ०सं० 834/20 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा०वाद
- (2)एक मोटर साइकिल स्प्लेन्डर न० DL-5SDM-2050 चोरी की।
- (3)एक स्कूटी न० DL-8STC-4626 EFIR न०- 24895/2020 धारा 379 भादवि थाना महेन्द्रापार्क

दिल्ली

- (4) दो मोवाईल चोरी के (एक लेटवी कम्पनी सिल्वर कलर व एक मोवाईल टेक्नो रंग गोल्डन)
- (5) एक अदद तमन्चा व एक कारतूस अभि0 इरफान से वरामद
- (6) एक अदद चाकू अभि0 दानिस से वरामद



एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करके उनके फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर वाहन बेचने वाले गिरोह के 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की गयी 01 मोटर साईकिल बरामद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 09.10.2020 को थाना इंदिरापुरम के क्षेत्र हैबिटेड सेन्टर के पास से वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण सोनू व रोहित को थाना पुलिस स्टेशन कार्म ब्रांच दिल्ली से चोरी की गयी मोटर साईकिल नम्बर DL13SL-3644 सहित गिरफ्तार किया गया। विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग एनसीआर क्षेत्र में मौका देखकर दो पहिया वाहन चोरी करते है तथा चोरी किये गये वाहनों को असली दिखाने के लिए चोरी किये गये वाहनो के फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर चोरी किये गये वाहनों को उचित दामों पर ग्रामीण इलाको में बैच देते हैं। अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर है जिनके अपराधिक इतिहास व अन्य घटित घटनाओं के सम्बंध में गहनता से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:—

- 1:— सोनू पुत्र अनिल निवासी सीकरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद
- 2:— रोहित पुत्र गणेश निवासी 680 न्यायखंड-3 जनपद गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका:—

अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के दो पहिया वाहन चोर है जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में घूम-घूमकर रैकी कर दो पहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते है तथा मौका देखकर अपने चोरी करने वाले उपकरणों का प्रयोग कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते है तथा चोरी किये गये वाहनों को आसपास के अन्य क्षेत्रो व पार्किंगों में छुपा देते है। उक्त गैंग मुख्य रूप से दो पहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते हैं। उक्त गैंग चोरी किये गये वाहनो का उचित दामों पर बेच देते हैं।

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण:—

1:— एक मोटर साईकिल नम्बर DL13SL-3644 (सम्बन्धित मु0अ0स0— 036989/2020 थाना काईम ब्रांच दिल्ली)

अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास:—

अभियुक्त सोनू का अपराधिक इतिहास

क0स 0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	036989/2020	379/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	1728/2020	411/482 भादवि	काईम ब्रांच	दिल्ली

अभियुक्त रोहित का अपराधिक इतिहास

क0स 0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	036989/2020	379/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	1728/2020	411/482 भादवि	काईम ब्रांच	दिल्ली

